महत्वपूर्ण

संख्या–547 / 18–4–2010–2(एसाइड) / 10

प्रेषक,

पी0के0 सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी,2010

विषय: जनपद संतरविदास नगर भदोही में नई बाजार में लोक निर्माण विभाग की सड़क से ईदगाह के बगल से होते हुए सेन्ट मैरी स्कूल तक सड़क एवं इसके लिंक मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं नाली निर्माण कार्य की परियोजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परियोजना दिनांक 15.1.2010 को आयोजित एस0एल0ई0पी0सी0 की बैठक में नई परियोजना के रूप में स्वीकृत की गयी थी। बीडा भदोही के पत्र संख्या–बीडा/तकनीकी–02(1276)/09/857, दिनांक 9.11.2009 के द्वारा परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी थी। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा परीक्षणोपरान्त प्रायोजना की प्रस्तावित लागत के सापेक्ष आकलित लागत एवं आख्या निम्नवत् है:–

(लागत रू0 लाख में)

क्र0स0	मद	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत
A	आर0सी0सी0 रोड (लम्बाई 1.665 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.6 मीटर दोनो तरफ नाली के साथ) का निर्माण लागत	227.44	200.43
B	ड्रांइग एवं डिजाइन	1.50	—
C	12.5 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज	28.61	—
	योग	257.55	200.43

1. सम्बन्धित प्रायोजना एस0एल0ई0पी0सी0 द्वारा स्वीकृत है।

2. प्रायोजना की कार्यदायी संस्था भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) एवं सेन्टेज चार्जेज का वहन इसी संस्था द्वारा किया जायेगा।

3. एस0एल0ई0पी0सी0 द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित विकास/निर्माण कार्यो का अगले 05 वर्षो की मरम्मत/रख–रखाव का दायित्व निर्माण संस्था का होगा।

2/——

4. प्रायोजना 2008 के शिड्यूल दरों पर आधारित की गयी है परन्तु प्रभाग द्वारा 2009 की दरों पर परीक्षण किया गया है।

5. प्रायोजना की स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष में प्रायोजना पूर्ण किया जाय।

6. प्रभाग द्वारा प्रायोजनाओं की लागत का आकलन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजनाओं को सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आगणन को आकलित करते हुए यथा स्थान संशोधित कर दिया गया है।

2. अतः बीडा का उपर्युक्त पत्र व परियोजना रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए एसाइड फण्ड से स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) संत रविदास नगर को अवमुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–547(1)/18–4–2010–12(एसाइड)/08 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निर्यात आयुक्त,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, गोमती नगर लखनऊ।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
3. महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, संत रविदासनगर भदोही।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा, संत रविदास नगर, भदोही।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।